संख्या- 03/2022/135/23-2-2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 09 मार्च, 2022

विषयः- जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर अर्जुगंज के समीप मरी-माता मंदिर के बगल में 04 लेन सेतु के निर्माण हेतु आवश्यक 2.37 एकड़ सेना की भूमि क्रय किये जाने हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-9174 बी.जी./7 बी0-मांग-भूमि प्रतिकर/2021-22, दिनांक 09.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-21/2021/885/23-2-2021, दिनांक 28.12.2021 के अनुक्रम में जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर अर्जुगंज के समीप मरी-माता मंदिर के बगल में 04 लेन सेतु के निर्माण हेतु आवश्यक 2.37 एकड़ सेना की भूमि क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 1.68 करोड़ अवमुक्त किय जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

2- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 16/ 2018/ बी- 2-979/ दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर , 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner

7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1320-मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-60 भूमि क्रय मद" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

09/03/2022

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 03/2022/135/23-2-2022 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/11
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner